



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 29.11.2023

“आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी को 10 वर्ष कारावास व एक लाख रु0 अर्थदण्ड की सजा

थाना शिवपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-105/2005 धारा (1) यू.पी. गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त डा0 उदयभान सिंह पुत्र तहसीलदार सिंह निवासी सेमरा थाना चील्ह जनपद मिर्जापुर (पूर्व विधायक) को माननीय न्यायालय ADGC(cl) जनपद वाराणसी द्वारा अन्तर्गत धारा 3(1) यू.पी. गैंगस्टर एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कारावास व एक लाख रु0 अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी